निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 8(17)रूक्टा राष्ट्रीय/अकाद/निकाशि/2011/273 दिनांकः 14 दिसम्बर, 2012

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः रूक्टा (राष्ट्रीय) द्वारा जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में दिनांक 07 व 08 जनवरी, 2013 को आयोजित प्रान्तीय अधिवेशन में भाग लेने एवं विशेष आकस्मिक अवकाश (अकादमी) अवकाश स्वीकृत करने की अनुमति बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि रूक्टा (राष्ट्रीय) द्वारा जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में दिनांक 07 व 08 जनवरी, 2013 प्रान्तीय अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। उक्त अधिवेशन में भाग लेने वाले प्राचार्य/उपाचार्य/सहायक निदेशक/प्राध्यापक/पुस्तकालयाध्यक्ष एवं निदेशालय के अधिकारियों को राजस्थान सेवा नियम के प्रावधानों एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 1(12)एफ.डी.(ग्रुप–2)/83 दिनांक 1–4–83 के अन्तर्गत नियमानुसार दिनांक 07 व 08 जनवरी, 2013 की यात्रा अवधि सहित शैक्षिक अवकाश (अकादमी अवकाश) स्वीकृति की अनुमति दी जाती हैं।

उपर्युक्त अधिकारियों को केवल मात्र एक संगठन द्वारा आयोजित अधिवेशन में भाग लेंने तथा उक्त दिवसों का उपस्थिति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही उक्त अवकाश का लाभ देय होगा।

उक्त अधिवेशन में भाग लेने वाले अधिकारियों को यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)
संयुक्त निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

क्रमांकः एफ 8(17)रूक्टा राष्ट्रीय/अकाद/निकाशि/2011/273 दिनांकः 14 दिसम्बर, 2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।
2. समस्त संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/व्याख्याता, निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।
3. महामंत्री, राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय), जयपुर को उनके पत्र क्रमांकः 28791 दिनांकः 21.11.12 के संदर्भ में।
4. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
5. रक्षित पत्रावली।
6. डॉ धीरेन्द्र, वेबसाईट प्रभारी

(हस्ताक्षर)
संयुक्त निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर